झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय : राज्य कर्मियों को Blood Donation/Aphaeresis Donation के लिए प्रत्येक वर्ष 4 (चार) दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 13020/1/2017-Estt(L) दिनांक 29.12.17 द्वारा सरकारी कर्मी को कार्य दिवस के दिन मान्यता प्राप्त रक्त अधिकोष में रक्तदान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार कार्य दिवस के दिन रक्तदान करने पर एक दिन एवं पूरे वर्ष में अधिकतम 4 (चार) बार ऐसे रक्तदान हेतु चार दिन विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमान्य किया गया है।

झारखण्ड राज्य में प्रतिवर्ष 3.5 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन लगभग 1.9 लाख युनिट रक्त मात्र संग्रहित हो पाता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की भाँति झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों/सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सरकारी सेवकों को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कार्य दिवस के दिन रक्तदान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश तथा पूरे वर्ष में चार दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों/सरकारी कार्यालयों में कार्यरत वैसे सरकारी सेवक जो कार्य दिवस के दिन मान्यता प्राप्त रक्त अधिकोष में रक्तदान करेंगे, उन्हें उक्त कार्य दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने एवं पूरे वर्ष में अधिकतम 4 (चार) बार रक्तदानों हेतु कुल चार दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

यह अवकाश मान्यता प्राप्त रक्त अधिकोष में रक्तदान कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

आदेश– सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

24/9/18
(निधि खरे)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 3/विविध–04–21/18 868 (3) राँची/दिनांक : 26/9/18

प्रतिलिपिः अवर सचिव (द–गजट प्रशाखा) वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

24/9/18
(निधि खरे)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 3 / विविध–04–21 / 18 868 (3) राँची / दिनांक : 26/9/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/18

(निधि खरे)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 3 / विविध–04–21 / 18 868 (3) राँची / दिनांक : 26/9/18

प्रतिलिपिः सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, रांची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी पुलिस अधीक्षक / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं / सभी सिविल सर्जन / सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/18

(निधि खरे)
प्रधान सचिव

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/18

(निधि खरे)
प्रधान सचिव